

समलैंगिक विवाह: समानता के लिए संघर्ष

यह एडटोरियल 28/04/2023 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित "Derek O'Brien on same-sex marriage: Queer Indians fighting the good fight" लेख पर आधारित है। इसमें समलैंगिक विवाह और समलैंगिक युगलों के लिये विवाह के उस अधिकार के बारे में चर्चा की गई है जो अन्य नागरिकों को पहले से उपलब्ध है।

संदर्भ

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने [वैशेष विवाह अधिनियम \(Special Marriage Act- SMA\)](#) के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं की एक शृंखला पर सुनवाई शुरू की है। वर्ष 1954 का वैशेष विवाह अधिनियम उन युगलों के लिये विवाह का नागरिक स्वरूप प्रदान करता है जो अपने व्यक्तिगत कानून (personal law) के तहत विवाह नहीं कर सकते।

- कार्यवाही में केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को सलाह दी है कि मामले को संसद को संदर्भित किया जाए जहाँ यह तर्क दिया गया है कि समलैंगिक विवाह को अनुमति देने के लिये कानून को पुनः संशोधित नहीं किया जा सकता है।
- इस संदर्भ में समलैंगिक विवाह के विषय और इससे संबंध मुद्दों पर विचार करना हमारे लिये प्रासंगिक होगा।

समलैंगिक विवाह के विपक्ष में तर्क

- विवाह की धार्मिक परिभाषाएँ:** विभिन्न धर्मों में पारंपरिक रूप से विवाह को एक पुरुष और एक स्त्री के बीच का बंधन माना जाता रहा है। वैशेष विवाह अधिनियम, 1954 धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों की सीमाओं को दूर करने के लिये लाया गया था, न कि विवाह की एक नई संस्था के निर्माण के लिये।
- राज्य का 'वैध' हति:** विवाह और व्यक्तिगत संबंधों को वनियमित करने में राज्य का एक वैध हति नहिंति है, जैसा कि सहमति की आयु, विवाह के नषिदिध स्तर और तलाक से संबंधित कानूनों में देखा गया है। विवाह करने का अधिकार स्वयं में पूर्ण नहीं है (not absolute) और राज्य के कानूनों के अधीन है। जैसे माता-पिता अपने बच्चे की शिक्षा पर पूर्ण नयित्रण का दावा नहीं कर सकते, वैसे ही व्यक्ति अपने व्यक्तिगत संबंधों पर पूर्ण नयित्रण का दावा नहीं कर सकते।
 - कब शादी करनी है, कतिनी बार शादी करनी है, कसिसे शादी करनी है, कैसे अलग होना है और पशुगमन या व्यभचार (bestiality or incest) पर कानून को वनियमित करने के लिये राज्य अपने वैध हति का दावा कर सकता है।
- नजिता का अधिकार:** वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने नजिता के अधिकार (Right to Privacy) को एक मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी और कहा कि यौन उन्मुखता (sexual orientation) किसी व्यक्ति की पहचान का एक महत्त्वपूर्ण अंग है जसिसे बनिा कसिी भेदभाव के संरक्षण कियिा जाना चाहयि।
 - हालाँकि, यह नजिता भले अस्ततिव में है, इसे विवाह तक वसित्तरति नहीं कियिा जा सकता जसिसे एक आवश्यक सारवजनकि तत्व संबद्ध होता है। वयस्कों के बीच सहमतपूरण यौन संबध नजिी होते हैं, लेकनि विवाह का एक सारवजनकि पहलू होता है जसिकी अनदेखी नहीं की जा सकती।
- संसद द्वारा अधिनियम का निर्माण:** केवल संसद के पास समलैंगिक विवाह पर नरिणय लेने का अधिकार है क्योकियिह लोकतांत्रिक अधिकार का मामला है और न्यायालय को इस संबंध में कानून नरिमाण की राह पर आगे नहीं बढ़ना चाहयि। कानून में संभावति अनपेक्षति परिणाम सन्नहिंति हो सकते हैं और इसमें LGBTQIA+ समुदाय (जसिमें 72 श्रेणयिीं हैं) के अंतर्गत आने वाले लगिीं के विभिन्न क्रमचय एवं संचय से नपिटने की जटलिता भी शामिल है।
- कानून की व्याख्या:** वैशेष विवाह अधिनियम की व्याख्या समलैंगिक विवाह को शामिल करने के लिये नहीं की जा सकती क्योकिक अधिनियम की संपूर्ण संरचना पर विचार करने की आवश्यकता होगी, न कि इसमें शामिल केवल कुछ शब्दों की। उदाहरण के लिये, अधिनियम एक पत्नी को कुछ वैशिषिट अधिकार प्रदान करता है और यह स्पष्ट नहीं है कि समलैंगिक विवाह में ये अधिकार कसिके पास होंगे। इसके अतिरिक्त, समलैंगिक विवाह में एक पक्ष को एक वैशिषिट अधिकार प्राप्त करने की अनुमति देने से वैषिमलैंगिक विवाहों के लिये समस्या उत्पन्न हो सकती है।
 - यह कानून पत्नी को कुछ वैशिषिट अधिकार प्रदान करता है, जैसे कानून कहता है कि पति शादी के बाद पति का अधविास प्राप्त करती है; इस परिदृश्य में फरि प्रश्न है कि समलैंगिक विवाह में पत्नी कौन होगी?
 - तलाक का मुद्दा:** वैशेष विवाह अधिनियम के तहत एक पत्नी इस आधार पर तलाक की मांग कर सकती है कि उसका पति बिलात्कार, सोडोमी या पशुगमन का दोषी है।
- बच्चों को गोद लेने संबंधी मुद्दे:** क्वयिर युगल द्वारा बच्चों को गोद लेने के मामले में सामाजिक कलंक, भेदभाव और बच्चों के भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने जैसे परिदृश्य उत्पन्न हो सकते हैं, वैशिष रूप से ऐसे भारतीय समाज में जहाँ LGBTQIA+

के सामाजिक और राजनीतिक परदृश्य पर इसकी कानूनी मान्यता के प्रभाव का विश्लेषण करें।

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/same-sex-marriage-struggle-for-equality>

